

# Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

पत्रावली पुरी भू.रा.रा.ह.


बनाम

नारायण पाल पुरी पना.रा.ह.

किस्म मुकदमा राजस्व दरखास्त

151

नं. 125 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
6/3/18	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित ।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ..... 151..... के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23/08/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      मारवाड़ जंक्शन                 </p>	
25/8/18	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वार्दी उपर वकील वार्दी द्वारा प्रस्तुत सम्पन्न प्रतिवार्दी संख्या 1, 2, 5, 6, 7/3, 7/4, 7/5 तथा 8 का नाम अथवा परा अथवा दोन सही नहीं पाये जाने के कारण अहम तामिल प्रस्तुत हुई। वकील वार्दी को दिनांक 12/8/18 को प्रतिवार्दी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/3, 7/4, 7/5, 8, 9, 11, 12 तथा 13 के सही नाम तथा परे मय P/P सम्पन्न पेश करने</p> <p style="text-align: center;">                     प्रतिवार्दी संख्या 7/1, 7/2 तथा 10                      के द्वारा सम्पन्न लेने ले इ-कार                 </p>	

हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

है। सात दिवस में PIF लम्पन पेश नहीं  
करो पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लगे  
जावेगी। पतावली आदेश दिनांक 14/11/19  
को पेश हो

सहायक क्लर्क  
मारवाड़ जंक्शन

14/11/19

पतावली आज पेश हुई।  
वकील डाक्टर को शीघ्र अपाईजण के लक्षी  
नाम एवं पता मय PIF लम्पन पेश करने का  
दिनांक 14/11/19 को अंतिम अवसर दिया जा  
चुका है किंतु PIF लम्पन पेश नहीं किये  
गए। आदेश में सात दिनों का लक्षी  
अंतिम अवसर दिया जाकर पतावली आदेश  
दिनांक 22/11/19 को वापस लक्षी पेश हो

सहायक क्लर्क  
मारवाड़ जंक्शन

22/11/19

पतावली आज पेश हुई।  
वकील डाक्टर को PIF लम्पन पेश करने हेतु  
पुनः लम्पन दिया जा चुका है किंतु आदिनांक  
तक PIF लम्पन पेश नहीं किये गए हैं। अतः  
मे दिनांक 14/11/19 को सात दिनों का लक्षी  
अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है किंतु  
आदेश की पालना में PIF लम्पन पेश नहीं  
किये गए अतः दस्तावेज प्रकरण को PIF लम्पन  
पेशी के अभाव में अंतर्गत O-9-R-5 CPC  
के तहत खारीज किया जाता है। किम मिसल  
के लक्ष 25 मार होकर नंबर ले कम हो।  
निर्णय खुद आयालय में आज दिनांक 22/11/19  
को सुनाया गया

सहायक क्लर्क  
मारवाड़ जंक्शन

